अरुणाचल प्रदेश का आदिवासी समाज और स्त्री-जीवन

अभिषेक कुमार यादव एवं चेबी मिहु

अरुणाचल प्रदेश, भारत का सीमांत प्रदेश है। यहाँ की मूल आबादी आदिवासी समुदायों की है। ये आदिवासी समाज अलग-अलग सांस्कृतिक परंपराओं को मानने वाले हैं। इनमें समानताएं भी हैं और असमानताएं भी। यह प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से उत्तर-पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है, किंतु इसकी आबादी महज तेरह से चौदह लाख ही है। छब्बीस से ज्यादा जनजातीय समूहों और सौ से ज्यादा उपजनजातीय समूहों के रहवास का यह क्षेत्र 1962 में हुए भारत-चीन युद्ध के बाद हमेशा के लिए बदल गया। आज हम जिस अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं, उसके इस स्वरूप का प्रस्थान बिंदु यह युद्ध ही है। इसके पहले राजनयिक तौर पर यह एक भौगोलिक बफर क्षेत्र की तरह था तथा आज़ादी के बाद प्रसिद्ध मानवशास्त्री वेरियर एल्विन के जनजातीय समाजों से संबंधित मान्यताओं और सिद्धांतों को इस क्षेत्र के लिए व्यवहृत किया गया।[1] हालांकि 1962 के युद्ध के बाद राजकीय नीतियों में बहुत परिवर्तन किया गया। इसके दूरगामी और बहुआयामी परिणाम हुए। इन्हीं परिणामों में से एक परिणाम अरुणाचल प्रदेश में हिंदी का विकास है। आज यहाँ संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचलन सबसे लोकप्रिय है। पिछले 15-20 वर्षों से यहाँ हिंदी भाषा में साहित्य सृजन भी शुरू हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लेखकों द्वारा हिंदी भाषा में प्रचुर साहित्य लेखन किया जा रहा है। हिंदी साहित्य की परिधि और प्रवृत्तियों के विकास के संदर्भ से देखें तो यह बहुत ही उत्साहवर्धक है। इन्हीं लेखकों में एक प्रमुख नाम जोराम यालाम नाबाम का है, जिनका अब तक एक कहानी-संग्रह, एक संस्मरण तथा एक उपन्यास प्रकाशित हो चुका है। उनके कहानी-संग्रह 'साक्षी है पीपल' की अधिकांश कहानियों का केन्द्र अरुणाचल प्रदेश का स्त्री जीवन ही है। इस लेख में उनकी कहानियों को आधार बनाकर अरुणाचल प्रदेश के तानी समूह की जनजातियों की स्त्रियों के जीवन को समझने की कोशिश की गई है।

अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली जनजातियों की सामाजिक संरचना मूलतः पितृसत्तात्मक है। यौन-हिंसा और बलात्कार जैसी घटनाएं भी यहाँ होती रहती हैं। जोराम यालाम की कहानियाँ इसकी बखूबी शिनाख्त करती हैं। इन कहानियों की अधिकांश स्त्री-पात्रों के साथ यौन हिंसा की घटनाएँ होती हैं और बहुत बार उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। स्त्री-पात्रों के साथ हुई बलात्कार की घटनाओं में भी स्त्रियों को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। यहाँ हमें बलात्कार के संदर्भ में कुछ आधारभूत बातों को जानना जरूरी है। शब्दकोशों में बलात्कार का अर्थ दिया गया है- 1.स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती किया जाने वाला संभोग। 2. धोखा, भय या आतंक के बल पर शारीरिक संबंध स्थापित करना; शीलभंग; सतीत्वभंग आदि।[2] ये सारे शब्द 'जोर जबरदस्ती' पर बल देते हैं, जो स्त्री यौन-हिंसा से ही संबंधित है, जबकि कई बार यौन-हिंसा का शिकार स्त्री ही नहीं, बल्कि पुरुष भी होते हैं। इसीलिए नारीवादियों की माँग को ध्यान में रखते हुए क़ानून की शब्दावली से 'बलात्कार' नामक शब्द को हटाकर उसकी जगह 'यौन–आपराधिक आचरण' जैसे शब्द का प्रयोग किया

जाना चाहिए।[3] इससे लाभ यह होगा कि इसके अंतर्गत हर तरह की यौन- हिंसा को ध्यान में रखते हुए, अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर अपराधी को दंड दिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यौन-हिंसा के अंतर्गत उन सभी दुर्व्यवहारों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जो स्त्री की शरीर से सीधे संबंध नहीं रखते हैं किंतु उनका लक्ष्य स्त्री की अवहेलना और हिंसा ही है। इसका एक उदाहरण भीड़ में किसी पुरुष द्वारा स्त्री को देखकर अपने गुप्तांग को छूना जैसी घटनाएँ हैं।

कहा जाता है कि मौन में बहुत ताकत होती है, लेकिन सच यह है कि यह ताकत उतनी नहीं होती जितनी शब्दों में होती है। स्त्रियाँ आमतौर पर अपने विरुद्ध होने वाली हिंसा के प्रति मौन रह जाती हैं, किंतु यदि वे बोलें तो हमारे सामने बेहतर परिणाम आ सकते हैं। हालांकि स्त्री वर्ग के लिए व्यावहारिक जीवन में अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ़ आवाज उठाना इतना सहज नहीं होता है। अन्याय के खिलाफ़ आवाज उठाने की हिम्मत वहाँ होती है, जहाँ अन्य लोगों से सहयोग मिलने की उम्मीद हो लेकिन स्त्री की स्थिति कुछ इस तरह है कि बहुत सारे मामलों में स्त्री ही स्त्री के खिलाफ़ खड़ी दिखाई देती है। बहुत बार पितृसत्तात्मक समाज की रूढ़िवादी विचारधारा के रक्षक के रूप में भी औरतें दिखाई देती हैं। यौन-हिंसा के संबंध में स्त्री की आवाज घर के भीतर ही दबा दी जाती है क्योंकि पित्तृसत्तात्मक समाज में 'सामाजिक इज्जत' अपराध करने वाले की नहीं जाती है। इसके विपरीत पीड़ित भी महिला होती है, दोषी भी उसी को ठहराया जाता है और 'इज्जत' भी उसी की ही जाती है। यौन हिंसा के संबंध में स्त्री की यह दुर्दशा आज की ही कहानी नहीं है। दुनिया के ऐसे कई मिथक हैं, जहाँ स्त्री के साथ बलात्कार होने पर स्त्री को ही सज़ा दी गई है। हिन्दू मिथकों के अनुसार इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण कर उनकी पत्नी अहिल्या के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। यह एक यौन हिंसा थी। लेकिन इसकी सजा ऋषि ने इंद्र को ही नहीं, अहिल्या को भी दी। जबकि अहिल्या के साथ भी धोखा हुआ था, वह ठगी गई थी । यहूदी धर्म में भी जीउस, स्वैन का रूप धारण कर लेडा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है।[4] किंतु इस अपराध को मिथकों में यौन हिंसा नहीं कहा गया।

कई आदिवासी समाज में भी स्त्रियों के विरुद्ध यौन हिंसा संरचनात्मक रूप से मौजूद है। अक्सर आदिवासी समाजों में लिंग भेद के विषय में चर्चा करते हुए कहा जाता है कि आदिवासी समाज सरल, सहज और समानतापूर्ण समाज होते हैं। दूर से देखने पर बात जितनी सरल दिखती है, उतनी है नहीं। सरलीकरण बनाम उलझे यथार्थ की एक बानगी हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आदिवासी समाजों में प्रचलित 'डायन प्रथा' के बारे में प्रसिद्ध लेखिका रमणिका गुप्ता लिखती हैं कि "गैर-आदिवासियों में पहले से ही संपत्ति की भावना थी, लेकिन आदिवासियों में तो इस प्रथा को अंग्रेजी हुकूमत लेकर आई। सूदखोरी और ज़मीन के व्यक्तिगत पट्टे, ये दो अभिशाप भारत में अंग्रेजों ने 'मौन-संस्कृति' की इस आदिवासी जमात को दिए। तब से औरत की हिस्सेदारी या अधिकार इन क्षेत्रों में समाप्त हो गए, क्योंकि ये पट्टे मर्दों के नाम से दिए जाते थे, इसलिए काल-क्रम में आदिवासी पुरुष भी यह समझ बैठे कि यह जमीन उनकी ही है। इस तरह से जमीन पर सामुदायिक स्वामित्व का मुद्दा कमजोर हो गया और व्यक्तिगत संपत्ति की भावना प्रबल हो गई। इन सद्य-प्राप्त व्यक्तिगत जमीनों में औरत की हिस्सेदारी उन्हें खटकने लगी।[5] इस तर्क की एक भौगोलिक सीमा है।

यह भारत के उन्हीं आदिवासी इलाकों के संदर्भ में कही जा सकती है, जिन पर अंग्रेजों का सीधा शासन था। दूसरी बात यह है कि इस तर्क के आधार पर सोचें तो यह लगेगा कि पारंपरिक तौर पर आदिवासी समाजों की महिलाओं का जमीन और सम्पत्तियों में हिस्सा होता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यह बदल गया जबकि सच इससे ज्यादा उलझा हुआ है। इन जनजातीय समाजों की मूल संरचना में ही पुरुषों का संपत्ति पर अधिकार माना गया है। आदिवासी समाजों के संदर्भ में सामूहिकता की तथा निजी संपत्ति के न होने की बात बार-बार कही जाती है। प्रश्न यह है कि इस सामूहिक संपत्ति की अवधारणा में स्त्रियाँ हिस्सेदार हैं या नहीं? यह समझना ज़रूरी है। यदि ध्यान से देखें तो यह पता चलता है कि संपत्ति पर अधिकार और पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरण के मामले यह सामूहिकता केवल पुरुषों की ही है। निजी संपत्ति की आधुनिक अवधारणा जनजातीय समाजों में पारंपरिक रूप से नहीं होती है लेकिन वहाँ निजी संपत्ति बिल्कुल नहीं होती है, यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। अरुणाचल के जनजातीय समाज में निजी संपत्ति के कारण कई बार बड़े झगड़े होते रहे हैं। यहाँ का समाज भी संपत्तियों पर स्त्रियों के अधिकार को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए यहाँ भी स्त्रियों के प्रति यौन हिंसा की घटनाएँ बहुत आम हैं।

अरुणाचल प्रदेश में सामान्य तौर पर इस तरह की हिंसा की ख़बर बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि इसके कारण जनजातीय समाजों के गोत्रों में आपसी संघर्ष बढ़ जाने का डर होता है और इस संघर्ष के कारण कुछ अनहोनी होने से औरत पर ही आरोप लग जाएगा कि उसी के कारण गोत्र के बीच लड़ाई हुई है। इस आदिवासी क्षेत्र की औरतें वैवाहिक बलात्कार की भी शिकार होती हैं। लेकिन इसे कभी अपराध के रूप में नहीं देखा गया बल्कि ऐसे अपराध को पुरुष के पुरुषत्व से जोड़कर देखा गया। अरुणाचल के महिला आयोग के पास 08/11/2002 को एक महिला ने केस दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि जब वह मात्र पाँच से छह साल की थी, तभी उसके भाई ने पाँच मिथुन के बदले में पचास साल के एक पुरुष के हाथ उसको बेच दिया और जब तक वह ससुराल में रही, तब तक उसके पति ने उसके साथ बलात्कार किया।[6] अमेरिकन इंडियन आदिवासी समाज में 'बुरी स्त्री' के साथ सामूहिक बलात्कार करना अपराध नहीं माना जाता था। 'बुरी स्त्री' का अर्थ था जो विधवा हो, जिस स्त्री पर पुरुष का संरक्षण न हो तथा झगड़ालू स्त्री। ब्राजील में रहने वाले *मुंडुरुकु आदिवासी (Mundurucu Tribe)* समाज में स्त्री को नियंत्रित करने के लिए सामूहिक बलात्कार किया जाता था। खासतौर से उन स्त्रियों का जो कर्तव्य परायण न हों, जो पति के अधीन न हों और पति के प्रति वफादार न हों।[7]

यालाम के कहानी- संग्रह 'साक्षी है पीपल' की एक कहानी है- 'उसका नाम यापी था'। यह कहानी अरुणाचल के न्यीशी समाज में स्त्री की स्थिति को केंद्र में रखकर लिखी गई है। न्यीशी समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है। कहानी की मुख्य स्त्री पात्र का नाम यापी है। एक पितृसत्तात्मक जनजातीय समाज में स्त्री में जिन- जिन गुणों की अपेक्षा की जाती है, वे सब गुण यापी में हैं। लेखिका यापी के चरित्र का वर्णन कुछ इस तरह करती है- "खेतों में फावड़ा चलाना हो या धान रोपना, किसी के यहाँ पूजा में औरतों का हाथ बँटाना हो या घर का कोई काम-यापी सब में हिरनी सी फुर्ती रखती थी। खाली समय में अपने भाई बहनों के लिए स्वेटर बुनना उसे बहुत पसंद था।[8]

यापी का विवाह उसके जन्म से पहले ही तय हो गया था। "जब वह माँ के गर्भ में थी, तभी बात पक्की हो गई थी कि लड़की हुई तो तारो के साथ शादी होगी। तारो उससे तीन साल बड़ा था। जन्म होते ही तारो के माँ-बाप ने अपनी शर्त के अनुसार यापी के माँ-बाप के पास पाँच मिथुन[9], कुछ सूखा मीट, चार टोकरी आपोङ्ग[10] तथा दो दाव पहुंचा दिये।"[11] अरुणाचल प्रदेश के तानी समुदाय की जनजातियों की विवाह-परंपरा में लड़के, लड़की का 'मूल्य' देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई स्त्री ससुराल में होने वाले अत्याचारों से तंग आकर 'मूल्य' लौटाना चाहे लेकिन गरीबी के कारण असमर्थ हो तो वह इन अत्याचारों को सहने के लिए मजबूर है। इसीलिए घर से ही माँ अपनी बेटी को यही शिक्षा देकर ससुराल भेजती है कि पति जैसा भी हो, अब वही तुम्हारा रक्षक है। ऐसी स्थिति में लड़की न चाहते हुए भी अत्याचार सहती रहती है। पितृसत्तात्मक समाजों में पति द्वारा बलात्कार करने को कभी भी अपराध नहीं माना गया। गैर जनजातीय समाजों में भी कुछ वर्ष पहले ही पति द्वारा यौन हिंसा को बलात्कार माना गया है। कहानी में यापी के साथ उसका पति तारो जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। यापी चिल्लाती रही, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। लेखिका लिखती हैं कि- "वह चिल्लाती रही, पर कोई सुनने वाला भी नहीं था। न्यीशी लोगों के घर इतनी दूर-दूर होते हैं कि आसानी से किसी को भी किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। वह लुट चुकी थी। उसके कपड़े तार-तार हो गए थे। वह उसका होने वाला पति था। उसका चिल्लाना कोई सुन भी लेता तो कुछ भी नहीं कर सकता था।"[12] लोग सुनकर भी अनसुना इसलिए कर देते क्योंकि तारो, यापी का पति है। तारो उसके साथ जबरदस्ती करे, उसे काटकर फेंक दे, इससे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना सब कुछ घटित होने पर भी यापी किसी को कुछ नहीं बताती है। उसे 'दु:खी होना चाहिए भी या नहीं, यापी नहीं जानती थी।'[13] क्योंकि उसके समाज में पति द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना यौन-हिंसा नहीं है। यापी अगर किसी को बता भी देती तो लोग यही कहते कि तारो उसका पति है और पति को अधिकार है पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का। लोग बलात्कार और संभोग को एक ही मानते हैं। इसलिए आदिवासी समाज में बलात्कार की आवधारणा नहीं है।

बलात्कार की एक पीड़िता इरीन, बलात्कार और संभोग के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहती हैं- "Rape is not sex. If you hit someone on the head with a rolling pin, it's not cooking."[14] बलात्कार और संभोग के इस अंतर को पति हो या चाहे कोई भी हो, इसे समझने की जरूरत है। तारो के लिए यापी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाना समाज की निगाह में यौन-हिंसा नहीं है, क्योंकि जिस समाज में वह रहता है वहाँ बलात्कार की अवधारणा ही नहीं है। वहाँ अपनी पत्नी के साथ जोर- जबरदस्ती करना पुरुषत्व का प्रतीक है।

जब भी औरतों के साथ दुष्कर्म होता है तो लोगों को यह कहते हुए सुना जाता है कि औरतों को घर में या सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए था। कनार्टक राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने तो एक सार्वजनिक सभा में यहाँ तक कह दिया था कि "हाँ, पुरुष बुरे होते हैं..लेकिन महिलाओं से रात के समय बाहर निकलने के लिए किसने कहा है..महिलाओं को रात में कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर वे ऐसा करती हैं तो फिर उनकी इस शिकायत का कोई मतलब नहीं है कि पुरुषों ने उनके साथ छेड़छाड़ की।"[15]

हालांकि वास्तविकता तो यह है कि स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं है। नेशनल क्राइम ब्यूरो 2020 के आंकड़े के मुताबिक 100 में से कुल 95 % यौन हिंसा के आरोपी पीड़िता के करीबी ही हैं।[16] यापी पहले अपने पति तारो के द्वारा बलत्कृत होती है। बाद में यापी का बचपन का दोस्त जामजा उसके साथ बलात्कार करता है। जामजा को यापी पसंद भी करती है। उसके साथ जंगल भी जाती है। आँखे बंद करके किसी पर विश्वास करना उसकी सबसे बड़ी ग़लती होती है। जामजा, यापी के इसी विश्वास का फ़ायदा उठाता है। यापी के साथ फिर दुष्कर्म होता है। इस बार भी यापी बेबस है। यापी जोर से रो भी नहीं पाती है। यापी सोचती है- "जोर से रोती तो कोई सुन सकता था, फिर तो आफत ही हो जाती। क्यों वह अकेली गई उसके साथ जंगल में।"[17] 'औरत होने की सज़ा' किताब में अरविन्द जैन ने मथुरा बलात्कार मामले में लिखा है कि – "मथुरा बलात्कार मामले में तो हद हो गई जिसमें उसके (मथुरा) साथ थाने में बलात्कार हुआ और सर्वोच्च न्यायलय ने अपने फैसले में कहा कि मथुरा एक बदचलन लड़की थी जो अपनी मर्जी से पुलिसवालों के पास आई थी।"[18] यापी की भी यही स्थिति थी। यदि वह बताती कि जामजा ने उसके साथ दुष्कर्म किया है तो समाज वही कहता जैसा मथुरा के संबंध में कानून के रखवाले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। यदि अपराधी के माथे पर लिखा होता कि वह दुष्कर्म करने वाला है तो औरतें अकेली अपराधी के साथ कहीं नहीं जातीं, किंतु ऐसा होता तो नहीं है।

समाज की दृष्टि में रात को घर से बाहर जाने वाली लड़की, पार्टी करने वाली लड़की, छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ एवं जो किसी के साथ पहले से ही शारीरिक संबंध बना चुकी हो ,ऐसी लड़कियाँ उतनी ही दोषी हैं, जितना कि उसके साथ यौन हिंसा करने वाला अपराधी। गरीब परिवार से होने के कारण यापी, तारो को कन्या का मूल्य नहीं लौटा सकती थी। इसलिए जामजा द्वारा बलत्कृत होने के बाद यापी तारो के घर जाती है और वहाँ रहते हुए जानबूझकर गाँव के कई मर्दों से यौन-संबंध बनाती है। इसके बाद तारो के परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया। तारो के घर से मुक्ति पाने के लिए ही वह ऐसा करती है। संकट की इस अवस्था में वह कुछ रोजगार की उम्मीद में शहर में रहने वाली अपनी दोस्त आमी के घर जाती है। आमी के पति को पता था कि यापी ने तारो के गाँव में रहते हुए कई मर्दों के साथ यौन-संबंध बनाया है। वह भी उसके साथ जबरदस्ती करता है और जब वह प्रतिकार करती है तो वह कहता है कि- "तुम्हारे जीवन में मैं अकेला मर्द थोड़े ही हूँ। तुम तो इसमें माहिर हो।"[19]

सच यह था कि कन्या का मूल्य लौटाने में असमर्थ होने के कारण यापी को ऐसा करना पड़ा था ताकि वह तारो से छुटकारा पा सके और वह यापी को स्वंय त्याग दे। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं था कि वह हर किसी से यौन-संबंध बनाना चाहती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी आकर उसके साथ जबरदस्ती करे। लेकिन समाज में स्त्री की किसी ग़लती के लिए कोई माफी नहीं है। उसे सम्मानित जीवन जीने का मौका तक नहीं दिया जाता है। उसे समाज में हमेशा घृणा का सामना करना पड़ता है। यदि किसी के साथ शादी हो जाती है तो समाज माफ़ कर भी देता है। लेकिन अविवाहित स्त्री के लिए कोई माफी नहीं है। यहाँ तक कि ऐसी स्त्रियां तो दूसरी औरतों की आँखों की किरकिरी बन जाती है। आमी के पति जैसे कई पुरुष हैं जो औरतों के साथ जबरदस्ती करने के बाद औरत पर ही चरित्रहीन होने का आरोप लगा देते हैं। दूसरी ओर कई बलात्कारी अपने

अपराध को जायज़ बताते हुए कहते हैं कि उसने स्त्री के साथ जो भी किया उसे सबक सिखाने के लिए किया है क्योंकि वह अकेली पुरुष मित्र के साथ रात को बाहर घूम रही थी। समाज, औरतों पर हो रहे अपराध को न रोक कर, पीड़िता को ही घर से बाहर न निकलने की हिदायत देता है। सोहेला अब्दुलाली अपनी किताब में लिखती हैं कि- चार मर्दों ने उसके साथ बलात्कार इसलिए किया, क्योंकि वे उसे सबक सिखाना चाहते थे। लेखिका की ग़लती बस इतनी थी कि वह उस रात अपने एक पुरुष दोस्त के साथ घूम रही थी। बलात्कारी अपने अपराध को जाय़ज ठहराते हुए सोहेला अब्दुलाली से कहता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है वह उसी की भलाई के लिए हो रहा है।[20] यदि बलात्कार होने की वजह छोटे कपड़े पहनना, रात को घर से बाहर निकलना, पहले से किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, वेश्या होना है, तो घर में बैठी पाँच-छह साल की लड़की के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएँ होती हैं, उसमें भी क्या उस बच्ची की ग़लती है? महाराष्ट्र में 21 दिसम्बर,1985 को पिता ने सात साल की बेटी के साथ बलात्कार किया। किंतु पिता को बम्बई के उच्च न्यायालय ने उसकी क्षणिक भूल, पत्नी का मर जाना, अनपढ़ होना जैसे कई अजीब-ओ-गरीब कारण बताते हुए आजीवन कारावास की सज़ा न देकर 10 साल की जेल दी।[21]

न्यूयॉर्क में रहने वाली ऑड्रे नामक एक महिला के साथ यौन हिंसा हुई। जब वह कोर्ट गई तो न्यायाधीश ने अपराधियों को यह कहकर छोड़ दिया कि ऑड्रे बलात्कार होने से पहले भी शारीरिक संबंध बनाती आयी है।[22] इसका अर्थ यह हुआ कि जो स्त्री शारीरिक संबंध बना चुकी हो, उसके साथ बलात्कार हो ही नहीं सकता। इसी तरह यदि इस कहानी में भी यापी अपनी सहेली आमी को बता भी देती कि उसके पति ने उसके साथ बलात्कार किया है और वह माँ बनने वाली है तब भी आमी विश्वास नहीं करती। इसके विपरीत यापी पर ही उसके पति को रिझाने का आरोप लग जाता क्योंकि समाज की दृष्टि में यापी पति द्वारा छोड़ी हुई एक चरित्रहीन औरत है। आमी का पति कहता भी है कि वह बच्चे का गर्भपात करा ले वरना वह आमी से कह देगा कि यापी ने उसके साथ जबरदस्ती किया था। अपने लिए वह 'कह देगा कि मर्द आदमी है, बस बहक गया था।[23] मर्द आदमी है, बहक जाता है, इस तरह का विचार ही तो स्त्री के प्रति यौन-हिंसा को बढ़ावा देता है। जबकि इसके विपरीत पुरुष को यह सिखाया जाना चाहिए कि वह अपनी क्षणिक उत्तेजना को नियंत्रित करना सीखे।

जब किसी को चोट लगती है तो उसका इलाज किया जाता है या करवाया जाता है। किंतु यौन-उत्पीड़न से पीड़ित स्त्री के साथ ऐसा नहीं होता है। समाज से लेकर न्यायालय तक स्त्री पर ही सवाल करते हैं। ये सारे सवाल घाव पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। इसीलिए यह घाव जल्दी ठीक नहीं होता है और पीड़िता स्वयं को ही दोषी मानने लगती है। यही कारण है कि कई बार यौन-हिंसा से पीड़ित औरतें आत्महत्या कर लेती हैं। इस तरह की आत्महत्याएं असल में सामाजिक और सामूहिक रूप की गई हत्याएं हैं। इस कहानी के अंत में भी यापी नदी में कूदकर जान दे देती है। कहानी के अंतिम पृष्ठ पर लेखिका यापी के मरने की बात का कुछ इस तरह वर्णन करती है- 'सुबह नदी के किनारे लोगों का जमावड़ा हो गया। पुलिस अपना काम कर रही थी। दूसरे दिन अखबार में छपा- बिन पति के गर्भवती महिला ने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी।[24]

पितृसत्तात्मक समाज ने यापी को मरने पर विवश किया था। यदि समाज यौन हिंसा में पीड़ित की जगह अपराधी को ही दोषी मानता, तो यापी जैसी कई लड़कियाँ आत्महत्या नहीं करतीं। यापी माँ बनने वाली थी। इसमें यापी की कोई ग़लती नहीं थी, न उसके अजन्में बच्चे की। अपराधी तो आमी का पति था। किंतु सज़ा यापी को और उसके पेट में पल रहे बच्चे को मिली। अर्थशास्त्र में पर्दे के पीछे से समाज को संचालित करने वाली पूंजी की ताकतों के लिए एक शब्द प्रचलित है- 'अदृश्य हाथ'। हमारे समाज में यह अदृश्य हाथ है 'पितृसत्तात्मक विचारधारा और व्यवस्था' का। यह अधिकतर लोगों को दिखाई नहीं देता है। जब यापी जैसी कोई स्त्री मरती है, तो देखने वाले को लगता है कि उसने आत्महत्या की है। वास्तव में पितृसत्ता का अदृश्य हाथ ही उसके गले में फाँसी डालता है, उसे नदी में ढकेल देता है, उसे ज़हर खिला देता है। पीछे छुपे इस अदृश्य हाथ को कोई नहीं देख सकता।

यापी के साथ तारो इसलिए बलात्कार करता है क्योंकि वह उसकी पत्नी थी। पति होने का अधिकार उसे प्राप्त था और समाज की नजरों में पति द्वारा पत्नी के साथ जबरदस्ती करना अपराध नहीं था। दूसरी ओर जामजा, यापी के साथ बलात्कार इसलिए करता है क्योंकि यापी छोड़ी हुई स्त्री थी। यापी, जामजा को चाहने लगी थी तो जामजा को लगा कि यापी संभोग के लिए सहमत है। आमी का पति, यापी के साथ जबरदस्ती इसलिए करता है क्योंकि वह ऐसा मानता है कि यामी पहले भी कई मर्दों के साथ सो चुकी है। वह एक चरित्रहीन औरत है। इसलिए ऐसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करना उसे अपराध नहीं लगा। तीनों ही स्थितियों में अपराधी की मानसिकता के पीछे एक संरचनागत पितृसत्तात्मक व्यवस्था और प्रशिक्षण काम कर रहा है जबकि तीनों ही स्थितियों में पीड़िता एक बेहतर जीवन की तलाश में होती हैं, लेकिन उसके हिस्से में अन्याय और अत्याचार ही आता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1] वेरियर एल्विन ने तत्कालीन 'नेफ़ा' (अब अरुणाचल प्रदेश) के जनजातीय जीवन को आधार बनाकर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है-

'ए फिलोसोफी फॉर नेफ़ा'। इस किताब में उन्होंने आदिवासियों के प्रति अपने नजरिए और दर्शन को अभिव्यक्त किया है।

[2] हिन्दी टू डिक्शनरी, https://www.hindi2dictionary.com

[3] मेनन, निवेदिता. (2021). नारीवादी निगाह से. (अनुवादक: नरेश गोस्वामी) नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन. पृष्ठ- 112

[4] Susan Brownmiller, Against Our Will : Men, Women and Rape, The Random House Publishing Group, First edition-1993,

page-284-285

[5] गुप्ता, रमणिका. (2012). स्त्री मुक्ति: संघर्ष और इतिहास. नई दिल्ली: सामयिक पेपरबैक्स. पृष्ठ- 152-153

[6] Miss Yapi Maling, M.Phil. Thesis, 2015-2016, Arunachal Pradesh State Commission for Women: A Study of its

Workings, Organisational Structure and Powers, Dept. Of Political Science, Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh.

[7] Susan Brownmiller, Against Our Will : Men, Women and Rape, The Random House Publishing Group, First Edition-1993, page-285

[8] नाबाम, जोराम यालाम. (2016). साक्षी है पीपल, नई दिल्ली: अनुज्ञा बुक्स. पृष्ठ-33

[9] एक पशु जो आकार में गाय या भैंस के बराबर होता है। इसे पालना और इसकी संख्या सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय है। इसे विवाह में लड़के पक्ष

के द्वारा लड़की पक्ष को 'कन्या के मूल्य' के तौर पर दिया जाता रहा है। परंपरागत त्योहारों में इसकी बलि दी जाती है।

[10] स्थानीय शराब जो चावल से बनाई जाती है।

[11] जोराम यालाम, साक्षी है पीपल, अनुज्ञा बुक्स, प्रथम संस्करण-2019, पृष्ठ-45

[12] वही, पृष्ठ-35

[13] वही, पृष्ठ-36

[14] Sohaila Abdulali, What We Talk About When We Talk About Rape, Penguin Random House India Pvt. Ltd., 2018, Page-84

[15] मेनन, निवेदिता. (2021). नारीवादी निगाह से. (अनुवादक: नरेश गोस्वामी) नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन. पृष्ठ- 110

[16] 8.3% dip in crimes against women in 2020: NCRB report | Latest News India - Hindustan Times Dated 16 September 2021.

[17] नाबाम, जोराम यालाम. (2016). साक्षी है पीपल, नई दिल्ली: अनुज्ञा बुक्स. पृष्ठ-38

[18] जैन, अरविंद. (2016). औरत होने की सज़ा. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन. पृष्ठ-52

[19] नाबाम, जोराम यालाम. (2016). साक्षी है पीपल, नई दिल्ली: अनुज्ञा बुक्स. पृष्ठ- 41

[20] Sohaila Abdulali, What We Talk About When We Talk About Rape, Penguin Random House India Pvt. Ltd., 2018, Page-8

[21] जैन, अरविंद. (2016). औरत होने की सज़ा. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन. पृष्ठ- 238

[22] वही, पृष्ठ- 238

[23] नाबाम, जोराम यालाम. (2016). साक्षी है पीपल, नई दिल्ली: अनुज्ञा बुक्स. पृष्ठ- 43

[24] वही, पृष्ठ-44

*(**लेखकीय परिचय:** डॉ. अभिषेक कुमार यादव युवा आलोचक एवं साहित्य के गंभीर अध्येता हैं, वर्तमान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। चेबी मिहु राजीव गांधी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शोध-अध्येता हैं।)*